[2021] 1 एस. सी. आर 701

नारायण सीतारामजी बडवैक (मृत) एलआरएस के माध्यम से।

वी.

बिसाराम और अन्य

(2011 की सिविल अपील सं. 6124)

17 फरवरी, 2021

[एन. वी. रमना, सूर्या कांत और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एस। 100 और एस। 103 - दूसरी अपील-अपीलार्थी ने संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था

दिनांकित एक बिक्री विलेख के आधार पर विवाद 26.09.1978-प्रतिवादी ने तर्क दिया कि ऐसी कोई बिक्री नहीं हुई-ट्रायल कोर्ट, इसके बाद साक्ष्य को देखते हुए अपीलार्थी के मुकदमे को खारिज कर दिया था प्रथम अपीलीय न्यायालय (जिला न्यायाधीश) ने निचली अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया और अपीलार्थी के पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाया।

उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में निचली अदालत के निष्कर्षों को बरकरार रखा और अपीलार्थी के मुकदमे को खारिज कर दिया-अपील पर,

आयोजितः उच्च न्यायालय ने नोट किया था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अप्रासंगिक सामग्री पर विचार किया था और इसकी सराहना करने में गलती की थी

कानूनी मुद्दा शामिल-प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले की कानूनी कमजोरियों को उजागर करने और उत्तरदाताओं के पक्ष में बनाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है

कि उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय, अपने गलत दृष्टिकोण के कारण, साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहा था

सही प्रकाश-ऐसी परिस्थिति में, उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होता कि वह अपने द्वारा तय किए गए कानूनी बिंदु के आलोक में तथ्यात्मक मुद्दों को निर्धारित करने के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय को भेज दे, या स्वयं तथ्यों पर निर्णय लेना चाहिए। 103 सिविल प्रक्रिया संहिता-इसके बजाय, इसके बाद

प्रथम अपील की टिप्पणियों को नकारना और उसका आयोजन करना न्यायालय, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को यंत्रवत रूप से बरकरार रखा-उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य के किसी भी मूल्यांकन के बिना अपील का फैसला किया-तदनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को तथ्यों और कानून पर अपील पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है।

नगरपालिका समिति, होशियारपुर बनाम। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, (2010) 13 एस. सी. सी. 216: [2010] 13 एससीआर

658 पर भरोसा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संतोष हजारी बनाम। पुरुषोत्तम तिवारी (मृतक) एल. आर., (2001) 3 एस. सी. सी. 17: [2001] 1 एससीआर 948-संदर्भित

को।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6124

2011 से। बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.10.2009 से, की दूसरी अपील No.358 में नागपुर पीठ

1997 .

श्रीमती बी. सुनीता राव, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, जे.

1. जब मामला पिछली बार आया था, 03.02.2021 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" सेवा के बावजूद, कोई भी पक्ष की ओर से उपस्थित नहीं हुआ है

उत्तरदाताओं।

अपीलार्थियों के लिए विद्वान परामर्श सुना।

प्रत्यर्थियों के वकील की गैर-उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए और विवादित संपत्ति की सटीक स्थिति के साथ-साथ यह जानने के लिए कि क्या पक्षों के बीच कोई समझौता हुआ है, हम पक्ष के वकील को दो सप्ताह का समय देते हैं।

अपीलार्थी आवश्यक कार्य करें। दो सप्ताह के तुरंत बाद मामले को सूचीबद्ध करें।

2. आज भी जब मामला उठाया गया तो कोई सामने नहीं आया

उत्तरदाताओं के लिए नोटिस की सेवा के बावजूद।

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना।

4. हमारे पहले के प्रश्न के उत्तर में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह प्रतिनिधित्व किया जाता है कि दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है।

पक्षकार, और उनके अनुसार पक्षकार मुकदमेबाजी जारी रखने का इरादा रखते हैं।

5. वर्तमान अपील के लंबे समय तक लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए

इस न्यायालय के समक्ष, और यह तथ्य कि, नोटिस की सेवा के बावजूद, प्रत्यर्थियों ने एल. आर. एस. के माध्यम से नारायण सीतारामजी बडवाईक (मृत) के रूप में शुरू से ही उपस्थिति दर्ज नहीं की है।

वी. बिसाराम और अन्य [एन. वी. रमना, जे.]

कार्यालय की रिपोर्टों के अनुसार, हमारी राय है कि हमें अपीलार्थियों के वकील की सहायता से मामले का निपटारा करना चाहिए।

6. वर्तमान के निपटारे के लिए आवश्यक मामले के तथ्य

अपील इस प्रकार हैः नारायण सीतारामजी बदवैक (चूंकि मृतक और अब अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है और जिसे इसके बाद सुविधा के लिए अपीलार्थी के रूप में संदर्भित किया जाएगा)

विवाद में संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था, के आधार पर

26.09.1978 दिनांकित एक बिक्री विलेख, रुपये में। 10,000 कुछ उत्तरदाताओं से। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का तर्क है कि ऐसी कोई बिक्री नहीं हुई थी, और वास्तव में, निष्पादित दस्तावेज़ केवल अपीलार्थी द्वारा उत्तरदाताओं को दिए गए ऋण के लिए संपार्श्विक था। अपीलार्थी ने 05.09.1987 पर संपत्ति का कब्जा मांगा, और बाद में 07.03.1989 पर वर्तमान मुकदमा दायर किया। विचारण न्यायालय, प्रस्तुत साक्ष्य को देखने के बाद

अभिलेख, दिनांक 21.09.1995 के निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी के मुकदमे को खारिज कर दिया। अपील पर, जिला न्यायाधीश ने निचली अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया और दिनांकित निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी के पक्ष में वाद का निर्णय दिया

05.08.1997 . प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर, कुछ प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निष्कर्षों को बरकरार रखा और विवादित फैसले के माध्यम से दूसरी अपील की अनुमति दी, जिससे अपीलार्थी का मुकदमा खारिज हो गया।

8. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अप्रासंगिक सामग्री पर विचार किया था और गलती की थी इसमें शामिल कानूनी मुद्दे की सराहना करना। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

एक बिक्री विलेख निष्पादित किया था, यह नाममात्र था और बिक्री के रूप में कार्य नहीं किया जाना था-विलेख को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया था। एक. यह समझ में नहीं आता है कि विद्वान संयुक्त जिला न्यायाधीश ने इस प्रश्न पर विचार क्यों किया कि क्या वादी और प्रतिवादियों के बीच लेनदेन अमान्य है या अमान्य है। जब यह सार्वजनिक नीति का विरोध करता है तो अनुबंध अमान्य हो जाता है और जब यह धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या धोखाधड़ी से लाया जाता है तो अमान्य हो जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है, यह किसी भी पक्ष का मामला नहीं है कि दस्तावेज़ धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या [2021] 1 एस. सी. आर. द्वारा लाया गया था।

जिला न्यायाधीश के प्रावधानों पर विचार करने के बजाय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 को पूरी तरह से

अप्रासंगिक पहलू "।

(जोर दिया गया)

9. हालांकि, फैसले की कानूनी कमजोरियों को उजागर करने के बाद

प्रथम अपीलीय न्यायालय का, और प्रत्यर्थियों के पक्ष में बनाए गए कानून के सारवान प्रश्न का उत्तर देते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने गलत दृष्टिकोण के कारण,

साक्ष्य पर सही तरीके से विचार करने में विफल रहे। ऐसी परिस्थिति में, उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होता कि वह अपने द्वारा तय किए गए कानूनी बिंदु के आलोक में तथ्यात्मक मुद्दों को निर्धारित करने के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय को भेज दे, या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 103 के तहत तथ्यों पर स्वयं निर्णय ले।

10. यह कानून की एक तय स्थिति है कि धारा के तहत दूसरी अपील की जाए।

100 सिविल प्रक्रिया संहिता, केवल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निहित है [संतोष हजारी बनाम देखें। एल. आर. द्वारा पुरुषोत्तम तिवारी (मृतक), (2001) 3 एस. सी. सी. 17]। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च न्यायालय किसी भी परिस्थिति में तथ्य के निष्कर्षों पर निर्णय नहीं ले सकता है या इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

जो नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दूसरी अपील में आए थे। वास्तव में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 103 स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों के लिए प्रावधान करती है जिनके तहत उच्च न्यायालय ऐसा कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 103 इस प्रकार हैः

धारा 103। विषय निर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति

तथ्य.

न्यायालय, या

((ख) जिसे ऐसे न्यायालय या न्यायालयों द्वारा गलत तरीके से निर्धारित किया गया है।

कानून के ऐसे प्रश्न पर निर्णय के कारण जैसा कि में निर्दिष्ट किया गया है

धारा 100।

नारायण सीतारामजी बडवैक (मृत) एलआरएस के माध्यम से। वी. बिसाराम और अन्य [एन. वी. रमना, जे.]

11. इस धारा का केवल अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह उच्च न्यायालय को तथ्य के मुद्दे पर निर्णय लेने का प्रावधान करता है, बशर्ते कि दो परिस्थितियों में उसके सामने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हो। पहला, जब अपील के निपटारे के लिए आवश्यक कोई मुद्दा निर्धारित नहीं किया गया है निचली अपीलीय अदालत या नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा। और दूसरा, जब सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत कानून के प्रश्न पर निर्णय के आधार पर नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा तथ्य के मुद्दे को गलत तरीके से निर्धारित किया गया है। यह न्यायालय, नगरपालिका के मामले में

समिति, होशियारपुर बनाम। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, (2010) 13 एस. सी. सी. 216, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 26. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 103 सी. पी. सी. कोई अपवाद नहीं है।

धारा 100 सी. पी. सी. के लिए न तो इसका उद्देश्य इसे प्रतिस्थापित करना है, बल्कि यह उसी उद्देश्य को पूरा करना है। यहां तक कि धारा 103 सी. पी. सी. को दबाने के दौरान भी

इस प्रकार, उच्च न्यायालय को एक निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि उसे ऐसी शक्ति का प्रयोग करना था, क्योंकि उसने पाया कि नीचे दिए गए न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष विकृति के कारण दूषित हो गए थे।

इसके अलावा, इस तरह की शक्ति का प्रयोग केवल अपवादात्मक स्थिति में ही किया जा सकता है।

परिस्थितियों और सावधानी के साथ, जहां मुख्य प्रश्न है मामले में शामिल होने का फैसला नीचे दी गई अदालतों द्वारा नहीं किया गया है।

27. दूसरी अपील पर विचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

तथ्य के सवाल पर भी बशर्ते अदालत संतुष्ट हो

कि निम्न न्यायालयों द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार न करने से या

मामले में गलत दृष्टिकोण दिखाना अर्थात

तथ्य के निष्कर्ष विकृत पाए जाते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय निचली अदालतों के स्थान पर अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्रतिस्थापित करके नियमित और आकस्मिक तरीके से तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। (जगदीश सिंह बनाम। नट्टू सिंह [(1992) 1 एस. सी. सी. 647]; कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम। अंजुमन-ई-इस्माइल मदरिस-उन-निसवान [(1999) 6 एस. सी. सी. 343] और दिनेश कुमार बनाम। यूसुफ अली [(2010) 12 एस. सी. सी. 740]।
28. यदि तथ्य का निष्कर्ष अनदेखा या बहिष्कृत करके निकाला जाता है

प्रासंगिक सामग्री या अप्रासंगिक को ध्यान में रखते हुए

सामग्री या यदि निष्कर्ष इतना अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि

अनुचितता के दोष से पीड़ित है

विकृत होने के कारण, निष्कर्ष को कमजोर बना दिया जाता है कानून की नजर। यदि न्यायालय के निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य या साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है या साक्ष्य [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो प्रक्रियात्मक अनियमितता या निष्कर्षों के दोष से ग्रस्त है

क्या ऐसा है कि कोई भी उचित व्यक्ति उन तक नहीं पहुँचा होगा

निष्कर्ष, तब निष्कर्षों को विकृत कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर

निष्कर्ष या तो न्यायालय का स्पष्ट निर्देश हैं या अनुमान पर आधारित हैं।

और अनुमान लगाता है कि निर्णय अतिरिक्त दुर्बलता से ग्रस्त है

मन के गैर-अनुप्रयोग और इस प्रकार, दूषित हो जाता है। (भरत के माध्यम से

मठ वी. आर. विजया रंगनाथन [(2010) 11 एससीसी 483] "

(जोर दिया गया)

12. वर्तमान मामले के संबंध में, टिप्पणियों से यह स्पष्ट है

उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में पारित किया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मामले में गलत तरीके से संपर्क किया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय को या तो मामले को रिमांड पर लेना चाहिए था, या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 103 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था और तथ्य के मुद्दों का फैसला करना चाहिए था। इसके बजाय, प्रथम अपीलीय न्यायालय की टिप्पणियों और अभिनिर्धारण को नकारने के बाद, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को निम्नलिखित शर्तों में यंत्रवत रूप से बरकरार रखाः

" 11. यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि एक पक्ष को दिखाने का अधिकार है

कि दस्तावेज़ पर कार्रवाई करने का इरादा नहीं था और क्या है

इसमें लिखे जाने का कोई मतलब नहीं है। मुकदमे के विद्वान न्यायाधीश अदालत ने सही माना है कि प्रतिवादियों ने वास्तव में दिखाया था कि

बिक्री-विलेख नाममात्र के थे और उन पर कार्रवाई नहीं की जानी थी

और इसलिए, वादी कब्जे का हकदार नहीं था। द.

विद्वान जिला न्यायाधीश के निष्कर्ष को दरकिनार करने में गलती हुई विचारण न्यायालय ने कहा कि वादी के पक्ष में विक्रय विलेख एक था

बिक्री-अलग रखे गए विलेख। विद्वान सिविल न्यायाधीश ने सही कहा है साक्ष्य पर विचार किया और बिक्री-विलेख को नाममात्र माना है।

और संपार्श्विक प्रतिभूति के माध्यम से निष्पादित किया गया है। यह खोज

विद्वान जिला न्यायाधीश का कि मुकदमा विचारणीय नहीं था

जब तक कि प्रतिवादियों द्वारा बिक्री-विलेख को अलग नहीं किया गया था, इसलिए,

उचित नहीं है। कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

इसलिए, अपील की अनुमति है और निर्णय और डिक्री

पास हो गया।

प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा और विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है

पुनर्स्थापित "।

13. उपरोक्त का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उच्च न्यायालय

रिकॉर्ड पर साक्ष्य के किसी भी मूल्यांकन के बिना, एक ही पैराग्राफ में अपील का फैसला किया। जिन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है, हमारी राय है कि यह उचित नहीं था।

नारायण सीतारामजी बडवैक (मृत) एलआरएस के माध्यम से। वी. बिसाराम और अन्य [एन. वी. रमना, जे.]

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और मामले को रिमांड पर लिया जा सकता है।

15. हम, तदनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हैं और यदि आवश्यक हो तो तथ्यों और कानून पर अपील पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उक्त न्यायालय को भेज देते हैं। हम इसे उच्च न्यायालय के लिए भी खुला छोड़ते हैं कि वह बनाए गए कानून के प्रश्न को संशोधित करे, या पक्षों को अवसर देने के बाद कानून के अतिरिक्त प्रश्न तैयार करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने मामले के गुण-दोष या कानूनी मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आयोजन की शुद्धता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है।

16. मुकदमे की लंबे समय से लंबित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय से छह साल की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने का अनुरोध करते हैं

इस आदेश के संचार की तारीख से महीनों।

17. अपील का निपटारा पूर्व-वर्णित शर्तों में किया जाता है।

अंकित ज्ञान

याचि

का का निपटारा